राजस्व वाद संख्या:-111/2021
ईश्वर सिंह बनाम फूलचंद वगै0
निर्णय दिनांक:-04|08| 2025

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू
श्री दीपक चंदन (आर.ए.एस.)
पीठासीन अधिकारी:-

मु0नं0 111/2021

1. ईश्वरसिंह पुत्र पीतराम, आयु 65 वष जाति जाट, निवासी रघुनाथपुरा तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं (राज०)
2. मृतक मोहरसिंह पुत्र श्योराम, आयु 80 वर्ष जाति जाट, निवासी रघुनाथपुरा तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं (राज०)

दौराने आवेदन पत्र देहान्त हो गया।

2/1 रामनिवास आयु 59 वर्ष
2/2 विधाधर आयु 51 वर्ष
2/3 महताबसिंह आयु 48 वर्ष
समस्त पुत्रगण मोहर सिंह जाति जाट, निवासी रघुनाथपुरा तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं (राज०)
2/4 मु० सन्तोष आयु 61 वर्ष
2/5 मु० मुन्नी आयु 57 वर्ष
2/6 मु० रामप्यारी आयु 55 वर्ष
2/7 मु० किरण आयु 45 वर्ष
समस्त पुत्रीगण मोहर सिंह जाति जाट, निवासी रघुनाथपुरा तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं (राज०)

– आवेदक

बनाम

1. मृतक फूलचन्द पुत्र रामनाथ आयु 70 वर्ष

–दौराने आवेदन पत्र देहान्त हो गया।

1/1. श्रीमती समझकोर आयु 70 वर्ष स्त्री स्व० फूलचन्द
1/2. मु० महेन्द्रा आयु 55 वर्ष
1/3. मु० कृष्णा आयु 52 वर्ष ।
पुत्रीगण फूलचन्द
1/4. श्रीमती मुन्नी देवी आयु 55 वर्ष स्त्री स्व. बलवीर
1/5. रवि आयु 30 वर्ष पुत्र
1/6 मु० पूनम आयु 32 वर्ष पुत्री
समस्त जाति जाट, निवासी रघुनाथपुरा, तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनू।

2. श्रीमती प्रमीला पत्नी स्व. जयप्रकाश जाति जाट, निवासी रघुनाथपुरा, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं (राज०)
3. जितिन पुत्र स्व. जयप्रकाश आयु 15 वर्ष नावालिग वली कुदरती माता
4. नितिन पुत्र स्व. जयप्रकाश
5. राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज०)

अनावेदकगण

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

राजस्व वाद संख्या:—111 / 2021
ईश्वर सिंह बनाम फूलचंद वगै0
निर्णय दिनांक:— 04.08..2025

प्रार्थना पत्र अ0धा0 251 (क) उपधारा (1)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
निर्णय

संक्षेप में तथ्य प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि ग्राम रघुनाथपुरा की सीव में भूमि खसरा नम्बर 37 रकबा 1.20 हैक्टर आवेदक संख्या 1 की खुद काश्त खातेदारी है। खसरा नम्बर 38 रकबा 2.21 हैक्टर का खातेदार काश्तकार आवेदक संख्या 2 है। जमीन हाल खसरा नम्बर 36 रकबा 1.10 हैक्टर स्थित ग्राम रघुनाथपुरा का खातेदार अनावेदक संख्या 1 फूलचन्द का हिस्सा 1/2 तथा जयप्रकाश का हिस्सा 1/2 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त जयप्रकाश का देहान्त हो गया जिसके विधिक प्रतिनिधिगण अनावेदक संख्या 2 लगायत 4 हैं।

यह कि आवेदक संख्या 1 की कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 37 रकबा 1.20 हेक्टर में आने—जाने के लिए कोई भी राजस्व रिकार्ड में कटानी रास्ता मौजूद नहीं है। आवेदक के दक्षिण में अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 4 की कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 36 लगती है। उक्त हाल खसरा नम्बर 36 के दक्षिण में सूरजगढ से चिडाया जाने वाली मुख्य सड़क लगती है। खसरा नं. 36 के पूर्वी सीमा के सहारे सहारे उक्त मुख्य सड़क से आवेदक संख्या 1 की कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 37 की पूर्वी व दक्षिणी सीमा तक आवेदक संख्या 1. 20 फुट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में कटवाना चाहता है। उक्त रास्ते को आवेदन पत्र के साथ पेश नजरी नक्शा में ए से बी दर्शित किया गया है। उक्त नजरी नक्शे में दर्शित ए से बी से और कोई नजदीक रास्ता आवेदक संख्या 1 की कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 37 के नहीं लगता है। नजरी नक्शा आवेदन पत्र का भाग है। यह कि आवेदक संख्या 1 की कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 37 के पूर्वी व दक्षिणी सीमा में गजरी नक्शा से दर्शित रास्ता ए से बी को आगे बढ़ाते हुऐ आवेदक की कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 37 के पूर्वी सीमा के सहारे सहारे व उतरी सीमा व फिर पूर्वी सीमा नजरी नक्शा में दर्शित बी से सी रास्ता आवेदक संख्या 2 की कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 38 की पूर्वी व दक्षिणी सीमा तक भी राजस्व रिकार्ड में कटवाना चाहता है, जिसमें आवेदक संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं है। आवेदक संख्या 2 की कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 38 के भी कोई कटानी रास्ता राजस्व रिकार्ड में नहीं लगता है। खसरा नम्बर 37 व 36 के अन्दर से दर्शित नजरी नक्शा में रास्ता ए से बी तथा बी से सी के अलावा अन्य कोई नजदीक रास्ता आवेदकगण के नहीं लगते है।

यह कि आवेदक उक्त भूमि में से रास्ता प्राप्त करने बाबत नियमानुसार माननीय न्यायालय के आदेशानुसार राशि देने को तैयार है इसलिए उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जाना आवश्यक है ।

अतः आवेदन पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदक संख्या 1 की कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 37 में आने—जाने के लिए हाल खसरा नम्बर 36 की पूर्वी सीमा के सहारे—सहारे नजरी नक्शे में अंकित ए से बी सूरजगढ से चिडावा जाने वाली मुख्य सड़क से 20 फुट चौडाई का नया रास्ता राजस्व रिकार्ड व नक्शा किस्तवार में अंकित किये जाने का आदेश दिया जावे और आवेदक संख्या 1 की कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 37 मे से आवेदक संख्या 2 की कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 38 तक बी से सी 20 फुट चौडाई का रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का भी आदेश दिया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

राजस्व वाद संख्याः–111/2021
ईश्वर सिंह बनाम फुलचंद वगै0
निर्णय दिनांकः–04/08/2025

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार सूरजगढ से मौका जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गयी । अप्राथी 1 की तरफ से एड0 अजय कुमार ने वकालतनामा पेश किया शेष अप्रार्थीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी । अप्रार्थी नं. 1 की तरफ से एड0 ने जवाब पेश नहीं किया। अतः जवाब बंद किया गया। तहसीलदार सूरजगढ से मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गयी।

बहस सुनी गई

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गयी। बहस एवं तहसीलदार से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट कमांक राजस्व/2022/112 दिनांक 14.02.2023 का अवलोकन किया गया । उक्त मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा आवेदक की भूमि के कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही लगता है। आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई कटानी कम दुरी का रास्ता नही लगता हैं । राजस्व रिकार्ड के अनुसार आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है जो मौके पर चालू हो। उक्त मौका जांच रिपोर्ट एवं बहस का अवलोकन एवं मनन पश्चात तहसीलदार सूरजगढ की मौका रिपोर्ट राजस्व/2022/112 दिनांक 14.02.2023 के साथ पेश भू0अ0 निरीक्षक रिपोर्ट में अंकित नक्शा में दर्शित भूमि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 37 व 38 मौजा रघुनाथपुरा में आने जाने के लिए नजरी नक्शे के मुताबिक खेत खसरा नम्बर 36 व 37 में से लाल स्याही से अंकित तक बिन्दू बी से सी तक खसरा नं. 36 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे 6 मी. चौड़ा कुल भूमि 168 वर्ग मीटर तथा बिन्दू सी से डी कुल भूमि 708 वर्गमीटर अप्रार्थीगण व प्रार्थी की भूमि में से लाल स्याही से अंकित रास्ते का क्षेत्रफल 876 वर्ग मीटर का रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित पाता है।

<u>आदेश</u>

तहसीलदार सूरजगढ की मौका रिपोर्ट राजस्व/2022/112 दिनांक 14.02.2023 के साथ पेश भू0अ0 निरीक्षक रिपोर्ट में अंकित नक्शा में दर्शित भूमि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 37 व 38 मौजा रघुनाथपुरा में आने जाने के लिए नजरी नक्शे के मुताबिक खेत खसरा नम्बर 36 व 37 में से लाल स्याही से अंकित तक बिन्दू बी से सी तक खसरा नं. 36 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे 6 मी. चौड़ा कुल भूमि 168 वर्ग मीटर तथा बिन्दू सी से डी कुल भूमि 708 वर्गमीटर अप्रार्थीगण व प्रार्थी की भूमि में से लाल स्याही से अंकित रास्ते का क्षेत्रफल 876 वर्ग मीटर का रास्ता कायम किया जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार सूरजगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वह रास्ते में जाने वाली भुमि खेत खसरा नम्बर 36 में से जाने वाली भूमि 168 वर्ग मीटर की निर्धारित डी.एल.सी. दर से दुगुनी राशि आवेदक से जमा कर संबधित खातेदार को उनके हिस्से अनुसार दी जावे तथा खसरा नम्बर 37 में से जाने वाली भूमि 708 वर्ग मीटर वादीगण की स्वयं की भूमि होने से उसके बदले में कोई राशि जमा नहीं की जावेगी। रास्ते के नाप में अगर कोई परिवर्तन होता है तो तहसीलदार अपने स्तर पर निस्तारण करे व रास्ते में आने वाले पेड़ या अन्य बाधा को हटाया जाता है तो उसका हर्जा खर्चा प्रार्थी से वसूल किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ते को अमल दरामद करे। तहसीलदार सूरजगढ की रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगा।

(श्री दीपक चंदन आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

यह निर्णय आज दिनांक04 .08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास में सुनाया गया।

(श्री दीपक चंदन आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ